सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 13, शुक्रवार, शाके 1945-अगस्त 04, 2023 *Sravana 13, Friday , Saka 1945- August 04, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 28, 2023

जी.एस.आर.60 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (अष्टम संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. संशोधन.- इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक्-पृथक् रूप से विहित रोस्टर के अनुसार की जायेंगी।

(5) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों के अवसान के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी:

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष की इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए गणना नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हों।

(6) किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब

तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई भी रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों में से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को, पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का/के अभ्यर्थी उपलब्ध हों, वह पद रिक्त करना होगा:

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग में के पदों या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समूह में की रिक्तियों को वहां अग्रनीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।''

अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान नियम का संख्यांक
1	2	3
1.	राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	8
2.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001	9
3.	राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013	8
4.	राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	8

[सं. एफ. 7(1)कार्मिक/क-2/2008]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, July 28, 2023

G.S.R.60 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules as mentioned in the Schedule appended hereto, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (8th Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment.-** The existing sub-rule (4) of rule as mentioned in column number 3 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended herewith shall be substituted by the following, namely:-

"(4) Appointments shall be made strictly in accordance with the roster prescribed separately for direct recruitment and promotion.

(5) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for direct recruitment, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward to the subsequent three recruitment years. After the expiry of three recruitment years, such carried forward vacancies shall be filled in accordance with the normal procedure:

Provided that if recruitment is not held in any recruitment year, such recruitment year shall not be counted for the purpose of this sub-rule.

Provided further that filling up of the vacancies in accordance with the normal procedure under this sub-rule shall not affect the reservation of posts as per the post based roster and vacancies on the reserved posts available in the roster may be filled in from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for which such vacancy is available in subsequent years.

(6) In the event of non availability of the eligible and suitable candidates for promotion amongst the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forwarded until the suitable Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate(s), as the case may be, are available. In any circumstances no vacancy reserved for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates shall be filled by promotion from General category candidates. In exceptional cases, where in the public interest the Appointing Authority feels that it is necessary to fill up the vacant reserved post(s) by promotion from the General category candidates on urgent temporary basis, the Appointing Authority may make a reference to the Department of Personnel and after obtaining prior approval of the Department of Personnel, they may fill up such post(s) by promoting the General category candidate(s) on urgent temporary basis clearly stating in the promotion order that the General category candidate(s) who are being promoted on urgent temporary basis against the vacant post reserved for Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates, as the case may be, shall have to vacate the post as and when the candidate(s) of that category become available :

Provided that there shall be no carry forward of the vacancies in posts or class/category/group of posts in any cadre of Service to which promotions are made on the basis of merit alone, under these rules."

SCHEDULE

S.No.	Name of Service Rules	No. of Existing Rule
1	**2**	**3**
1.	The Rajasthan Fisheries State and Subordinate Service Rules, 2012	8
2.	The Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 2001	9
3.	The Rajasthan Madarsa Education Assistant Subordinate Service Rules, 2013	8
4.	The Rajasthan Vidhyalay Sahayak Subordinate Service Rules, 2015	8

[No. F. 7(1)DOP/A-II/2008]
By order and in the name of the Governor,

DR. SHIV PRASAD SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.